न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 15/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2016/00032

अनवान

1. श्री नंगला पिता बदा गरासिया, निवासी आमडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री मंगला पिता बदा गरासिया, निवासी आमड़ा तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर
2. सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी झाडोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 03-01-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा आमडा, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 1246 मी. रकबा 1.1900 हेक्टेयर के आवंटन हेतु प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष दिनांक 15.06.1992 को प्रस्तुत किया गया जिसकी सनद फीस 5/–रू. प्रार्थी द्वारा जमा करायी गयी परन्तु उक्त भूमि का आवंटन प्रार्थी के अनपढ़ होने के कारण प्रार्थी के भाई विपक्षी संख्या 1 मंगला को कर दिया जबकि उक्त भूमि पर आधिपत्य प्रार्थी का होकर भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की थी। विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन गलत एवं राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत के कारण हुआ है। प्रार्थी का ही आवंटन से पूर्व एवं आवंटन के पश्चात कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। आवंटन की दिनांक को विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन नहीं था क्योकि विपक्षी के पक्ष में मौजा आमडा की आराजी संख्या 1541, 1252, 2998/1221 कुल किता 3 रकबा 1.8300 हेक्टेयर भूमि का आवंटन 21.03.1985 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि के आवंटन हेतु विपक्षी संख्या 1 द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया था परन्तु राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर विपक्षी संख्या 1 ने उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 318 से गैर खातेदारी हक से स्वयं के नाम दर्ज करवा ली इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश किया कि विपक्षी संख्या 1 को आराजी संख्या 1246 मीन का दिनांक 15.06.1992 को आवंटन विधिवत एवं सही तरीके से हुआ है। प्रार्थी का विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि पर आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात कभी आधिपत्य नहीं रहा है। वर्तमान में भी प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई आधिपत्य न होकर श्रीमती बसलीबाई का आधिपत्य है। विपक्षी संख्या 1 का आराजी नम्बर 1246 मीन पर कोई आधिपत्य नही है इसलिये काश्त करने का कोई प्रश्न भी पैदा नही होता है। राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त आवंटन में किसी प्रकार की त्रुटि नही की है। विपक्षी संख्या 1 के नाम आवंटन के पश्चात् नामान्तरकरण भी विधि के सिद्वान्तों के अनुरूप हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नही है क्योकि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

प्रकरण में तहसीलदार झाडोल से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गईं। तहसीलदार झाडोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 10.08.2017 से प्रेषित मौका रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व ग्राम आमडा, तहसील झाडोल के आराजी संख्या 1246 रकबा 1.19 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में बसलीबाई पत्नी मालाराम गरासिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। मौतबिरान ने बताया कि 0.08 हेक्टेयर पर मक्की की फसल खेमा पिता नाथा गरासिया द्वारा बोई गयी है शेष भूमि पड़त हो नंगला के अनुसार वह घास काटता है। खातेदार बसली पत्नी मालाराम ने बताया कि उसने यह भूमि मंगला पिता बदा गरासिया से जरिये विक्रय पत्र प्राप्त की है। तब से वह ही इस भूमि का उपयोग उपभोग कर रही है। तहसीलदार से मामले की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 502/1992 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करने हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी संख्या 1 द्वारा फार्म न भरना, पहले से ही भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को होना, प्रार्थी का कब्जा काश्त होना, आवंटी का भूमिहीन न होना, मिसप्रजेन्टेशन एवं फ्रोड अलोटमेन्ट होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को विधि विपरीत बताते हुए निरस्त करने की मांग की तथा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि मिसप्रजेन्टेशन एवं गलत तथ्यो पर आधारित आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

- 2015(2) आर.आर.टी. 790
- 2007(1) आर.आर.टी. 193
- 2007(2) आर.आर.टी. 983

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये विपक्षी को विधि अनुसार आवंटन होना, आवंटन पश्चात् भूमि काश्त योग्य बनाना, एवं विपक्षी का रेकर्डडेड खातेदार हो जाना, भूमि विक्रय कर दिया जाना, वर्तमान खातेदार को प्रकरण में पक्षकार न बनाना आदि आधारों पर विपक्षी के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने हेतु अनुरोध किया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने बाबत् निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

- आर.आर.टी. 2007 (1) पृष्ठ 18
- आर.आर.टी. 2007 (2) पृष्ठ 1240
- आर.आर.टी. 2008 (2) पृष्ठ 834

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी के जवाब, मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा आमडा, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 1246 मीन, रकबा 1.1900 हेक्टेयर हेतु आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर के स्थान पर मात्र आवेदक की अंगुष्ठ निशानी लगी होकर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है एवं आवेदन पत्र मे आवेदक का नाम भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है अर्थात आवेदन पत्र को देखने पर यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता है कि आवेदन प्रार्थी श्री नंगला द्वारा किया गया है अथवा विपक्षी श्री मंगला द्वारा किया गया हैं। पटवारी की जांच रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना, कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट पर पाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही दिये जाते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त उक्त भूमि का श्रीमती बसली बाई पत्नि मालाराम गरासिया को विक्रय कर दिया जाना पत्रावली से जाहिर होता है। इस प्रकार श्रीमती बसली बाई पत्नि मालाराम गरासिया का प्रकरण मे हित निहित होने से वह प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है

एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा श्रीमती बसली बाई पत्नि मालाराम गरासिया को मामले मे पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी आवंटी भूमिहीन नही है एवं उसके पास पूर्व से भूमि उपलब्ध है, किन्तु मामले मे यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 मे वर्णित भूमिहीन कृषक की परिभाषा मे विपक्षी न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी अधिवक्ता प्रस्तुत करने मे असफल रहे है। आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर किसी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं। उपरोक्त समग्र तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा आमड़ा, तहसील झाड़ोल की साबिक आराजी संख्या 1246मी. रकबा 1.1900 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 श्री मंगला पिता बदा गरासिया के नाम पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिसल नम्बर 502/1992 से किया गया आवंटन दिनांक 15.06.1992 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.01.08 12:55:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: